निर्णय वइजलास श्री रामसिंह गुर्जर आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी छबडा जिला बारां द्वारा अध्यासित

प्रकरण संख्या 10/2023
दायरा दिनांकः—22.3.2023
निर्णय दिनांकः— 15·4·24

उनवान

1. कल्लु आयु 62 वर्ष पुत्र प्रभु जाति ढीमर निवासी ग्राम बमोरा तहसील छबडा जिला बारां (राज0)

................प्रार्थी

बनाम

1. शोभाराम आयु 42 वर्ष पुत्र कन्हैयालाल जाति भील निवासी ग्राम गणेशपुरा तहसील छीपाबडौद जिला बारां (राज0)
2. फूलसिंह आयु वर्ष पुत्र केदार जाति भील निवासी ग्राम गणेशपुरा तहसील छीपाबडौद जिला बारां (राज0)
3. बंशीलाल आयु वर्ष पुत्र हीरालाल जाति भील निवासी ग्राम गणेशपुरा तहसील छीपाबडौद जिला बारां (राज0)
4. कुलदीप सिंह आयु वर्ष पुत्र केदार जाति भील निवासी ग्राम गणेशपुरा तहसील छीपाबडौद जिला बारां (राज0)
5. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार साहब तहसील छबडा जिला बारां (राज0)

.... अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर0 टी0 एक्ट0
निर्णय दिनांकः— 15·4·24

अभिभाषक उपस्थितः—1. श्री नारायण लाल चौरसिया — वादी

अभिभाषक वादी द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा,212 आर.टी.ए विरूद्ध अप्रार्थीगण के न्यायालय मे इस अशय का पेश किया गया कि वाके माल बमोरा तहसील छबडा में प्रार्थी के शामलाती खातेदारी एवं कब्जे काश्त की भूमि खाता संख्या 211/215 की खसरा नम्बर 10 रकबा 02 बीघा 03 बिस्वा खसरा नम्बर 11 रकबा 01 बीघा 18 बिस्वा खसरा नम्बर 13 रकबा 07 बीघा 19 बिस्वा खसरा नम्बर 90 रकबा 03 बीघा 04 बिस्वा कुल किता चार रकबा 15 बीघा 04 बिस्वा भूमि वाके माल बमोरा तहसील छबडा में स्थित है जिसमें प्रार्थीगण का बराबर—बराबर हिस्सा 1/2—1/2 स्थित [illegible] के शामलाती खातेदारी की भूमि में नदी किनारे स्थित है। जिसमें बरसात [illegible] पानी के बहाव से खेत में रेत पत्थर आ जाते है उस रेत पत्थर को अप्रार्थीगण जे0सी0बी0 मशीन [illegible]दकर ट्रेक्टर—ट्रोली भरकर अवैध खनन कर ले जाते [illegible] जब प्रार्थीगण ने अप[illegible]तेदारी की भूमि में से रेत पत्थर खोदने के लिए मना किया तो अप्रार्थीगण ने कहा कि हम रेत पत्थर खोदने के लिए एक लाख रूपये साल जमा करते है और अप्रार्थीगण ने

उपखण्ड अधिकारी
छबड़ा (बारां)

Signature Not Verified
Digitally signed by Ram Singh Gurjar
Date: 2024.04.29 17:39:38 IST
Reason: SelfAttested

जबरन प्रार्थी की खातेदारी की भूमि से रेत पत्थर खोदकर ले जाने से मना करने पर जान से मारने की धमकी दी तथा कहा कि ज्यादा करेगा तो खेत में अफीम गाड कर तुझे फंसा देगें। प्रार्थी की खातेदारी की भूमि से रेत पत्थर खोदने से रोकने बाबत् थाना बडा तहसीलदार साहब छबडा वन विभाग छबडा को प्रार्थना पत्र लिखकर दिया किन्तु तहसीलदार छबडा वन विभाग छबडा ने भी कोई कार्यवाही नही की। प्रार्थी की खातेदारी की भूमि को खोदकर रेत पत्थर निकाल ले जाएगां तो खातेदारी की भूमि में गड्डे हो जाएगा। इसकी पूर्ति असंभव होगी।

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को जर्ये सम्मन तलब किया गया। अप्रार्थीगण बावजूद सूचना के न्यायालय में उपस्थित नही होने के कारण उनके विरूद्ध एक तरफा कार्यवाही की गई प्रार्थी द्वारा अपने पक्ष के समर्थन में नकल जमाबन्दी ग्राम बमोरा सम्वत् 2076–79 खाता सं0 211 एवं स्वंय का शपथ पत्र पेश किया गया।

बहस अभिभाषक प्रार्थी सूनी गई बहस के दौरान वकील प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दौहराया गया। वकील प्रार्थी का कथन है के प्रार्थी के खातेदारी एवं कब्जे काश्त की भूमि ग्राम बमोरा तहसील छबडा में स्थित है जिसमें प्रार्थी का हिस्सा 1/2 हिस्सा निहित है। उक्त भूमि नदी के किनारे है बरसात के समय पानी के बहाव से खेत मे रेत पत्थर आ जाते है। पत्थर व रेत को अप्रार्थीगण जे0सी0बी0 मशीन से खोदकर ट्रेक्टी ट्रोली में भरकर ले जाते है प्रार्थी द्वारा रेत पत्थर को भरकर ले जाने के लिए अप्रार्थीगण से मना करते है तो मारने की धमकी देते है अप्रार्थीगण के लिए कार्यवाही करने हेतु तहसीलदार साहब व वन विभाग को लिखित में शिकायत की परन्तु कोई कार्यवाही नही की गई यदि अप्रार्थीगण द्वारा जे0सी0बी0 मशीन से रेत व पत्थर खोदकर ले जायेगें तो प्रार्थी के खेत में गड्डे हो जायेंगें जिसको भरना सम्भव नही है अप्रार्थीगण को पाबन्द किया जावे की प्रार्थी के खातेदारी की भूमि में किसी प्रकार के गड्डे नही करे।

बहस अभिभाषक प्रार्थी सूनी गई पत्रावली एवं रिकार्ड का अवलोकन किया गया। प्रस्तुत नकल जमाबन्दी ग्राम बमोरा सम्वत् 2076–79 खाता सं0 211 में रामप्रसाद, कल्लु पुत्र प्रभु जाति ढीमर के खातेदारी में दर्ज होना पाया है इससे यह साबित होता है कि विवादित आराजी प्रार्थी के शामलाती खातेदारी की है अप्रार्थीगण द्वारा न्यायालय में उपस्थित होकर ऐसा कोई दस्तावेजी साक्ष्य व रिकार्ड प्रस्तुत नही किया जिसमें विवादित भूमि से रेत व पत्थर खोद कर नही ले जाना साबित हो सका। यदि अप्रार्थीगण प्रार्थी की भूमि से जे0सी0बी0 मशीन से रेत और पत्थर खोदकर कर ले जायेगें तो प्रार्थी के खाते की आराजी में गड्डे हो जायेगें जिससे प्रार्थी को अपरिमित हानि होगी जिसकी पूर्ति किया जाना सम्भव नही होगा विवादित भूमि प्रार्थी के खातेदारी एवं कब्जे काश्त की है जिसमें प्राईमा फेसाई केस एवं सुविधा का सन्तुलन प्रार्थी के पक्ष में है प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना न्यायोचित है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Ram Singh Gurjar
Date: 2024.04.29 17:39:38 IST
Reason: SelfAttested

:: **क्रियात्मक आदेश** ::

उपरोक्त विवेचनानुसार प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है अप्रार्थीगण को जर्ये अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि विवादित आराजी वाके ग्राम बमोरा तहसील छबडा के ख्खसरा नम्बर 10 रकबा 2.03

उपखण्ड अधिकारी
छबड़ा (बारां)

बीघा खसरा नम्बर 11 रकबा 1.18 बीघा खसरा नम्बर 13 रकबा 7.19 बीघा खसरा नम्बर 90 रकबा 3.04 बीघा में प्रार्थी के हिस्से 1/2 पश्चिम दिशा की नदी किनारे वाली भूमि में से मूल वाद के निर्णय तक जबरन ताकत के बल पर रेत व पत्थर खोदकर नही निकाले। यह कृत्य न तो स्वंय करे और ना ही अपने प्रतिनिधियों से करावे।

निर्णय लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(रामसिंह गुर्जर)
उपखण्ड अधिकारी
आर.ए.एस.
छबड़ा (बारां)
उपखण्ड अधिकारी, छबडा

Signature Not Verified

Digitally signed by Ram Singh Gurjar
Date: 2024.04.29 17:39:38 IST
Reason: SelfAttested